न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 06/2020
GCMS Case Reg. 2020/00006

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी, तहसीलदार, बांसवाड़ा (राज.)। –प्रार्थी

बनाम

1. श्री धुलजी पिता हुका ब्राम्हण निवासी कुपडा।
2. श्रीमति कान्ता पुत्री बापुलाल (पत्नी लालशंकर), श्रीमति निर्मला पुत्री बापुलाल (पत्नी दुर्गाशंकर), श्रीमति संजु पुत्री बापुलाल (पत्नी रमेश चन्द्र) निवासी कुपडा।
3. श्रीमति शिवि बाई बेवा बापुलाल ब्राम्हण निवासी कुपडा।

–प्रत्यर्थी

भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेंस

उपस्थित – 1. श्री भूपेन्द्र जैन राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक :– 23.12.2020

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि तहसीलदार, बांसवाड़ा द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत रेफरेंस का प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया कि सेटलमेंट खतौनी संवत् 1996 तहसील बासवाड़ा के राजस्व ग्राम गणपतपुरा पटवार मण्डल कुपडा के खसरा संख्या 136 रकबा 2.07 बिघा किस्म भूमि गैर मुमकीन नाला सिवायचक श्रीसरकार अंकित है। उक्त आराजी वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 के खसरा नं. 240/136 रकबा 0.05 बिघा भूमि किस्म नाला/नाली व आराजी नंबर 253/136 रकबा 0.05 बिघा भूमि किस्म नाला/नाली अप्रार्थीगणो के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी की भूमि मुताबिक सेटलमेंट गैर मुमकीन नाला श्रीसरकार दर्ज थी। जो राजस्थान भूराजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा के अन्तर्गत राजस्व रेकार्ड में दर्ज नदी/नाला/झील/तलाब/नाली/तलाई/जलाशयो की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उदभूत नही होते है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका सख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.12.24 17:30:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय में आदेश दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण में उक्त आराजी नंबर के खातेदारी अधिकार व उक्त भूमि से उद्भूत समस्त अधिकार काबिल निरस्ती योग्य है।

सेटलमेंट खतौनी संवत् 1996 वाके ग्राम गणपतपुरा पटवार मण्डल कुपडा तहसील व जिला बॉसवाडा आराजी नंबर 136 रकबा 2.07 बिघा भूमि किस्म नाला श्रीसरकार दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2047–52 में आराजी नंबर 240/136 रकबा 0.05 बिघा किस्म नाला व आराजी नंबर 253/136 रकबा 0.05 बिघा किस्म नाला श्री बापुलाल, नाथुराम, धुलजी पिता हुका, श्री भगवान पिता रघुनाथ ब्राम्हण निवासी कुपडा के नाम के नाम दर्ज रकार्ड है। नामान्तरकरण संख्या 183 दिनाक 16.08.1993 से उक्त आराजीयात जरिये बटवारा से श्री धुलजी, बापुलाल पिता हुका के नाम दर्ज हुई। जो वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में धुलजी पिता हुका एवं बापुलाल के वारिसान अप्रार्थीगणो के नाम दर्ज रेकार्ड है।

इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से बाधित भूमि जो आरम्भ से ही शून्य है तथा इस प्रकार की भूमि में किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी सिविल जनहित याचिका संख्या 1530/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी यही व्यवस्था दी है कि राजस्व रेकार्ड में दिनांक 15.08.1947 मे दर्ज गैर मुमकिन नाला/नाली/नदी है। जो कि आवंटन/नियमन से बाधित भूमि है। अतः वर्जित किस्म की भूमि होने के कारण रेफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाकर उक्त ग्राम गणपतपुरा पटवार कुपडा तहसील व जिला बॉसवाडा आराजी नं 240/136 रकबा 0.05 बिघा किस्म भूमि नाला व आराजी नंबर 253/136 रकबा 0.05 बिघा किस्म भूमि नाला अप्रार्थीगणो के खातेदारी अधिकार निरस्त करने एवं वापस गैर मुमकीन नाला/नाली राजकीय सिवायचक दर्ज किए जाने निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो को दिनांक 08.01.2020, 28.02.2020 को सम्मन एवं दिनाक 15.06.2020, 31.07.2020 को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.12.24 17:30:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

श्रीमती निर्मला, श्रीमती संजु (संध्या), एवं श्रीमती शिविबाई की ओर से दिनांक 24.09.2020 को जवाब प्रस्तुत किया कि ग्राम गणपतपुरा पटवार मण्डल कुपडा के आराजी नंबर 153/136 कुल रकबा 0.05 बिघा पर कृषि कार्य कर रहे है उक्त खसरा नंबर पर न तो पूर्व में न ही वर्तमान मे मौके पर कोई नाला है। जिसके पश्चात उक्त तीन अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे है। अप्रार्थी श्री धुलजी व श्रीमती कान्ता की ओर से जबाब पेश नही किया गया तथा उक्त अप्रार्थीगण लगातार अनुपस्थित रहे। अतः दिनांक 16.12.2020 को श्री धुलजी व श्रीमती कान्ता के जवाब बन्द किये गये तथा अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थीगणो के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

दिनांक 23.12.2020 को एकपक्षीय बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता की ओर से कथन किया गया कि सेटलमेंट खतौनी संवत् 1996 तहसील बांसवाडा के राजस्व ग्राम गणपतपुरा पटवार मण्डल कुपडा के खसरा संख्या 136 रकबा 2.07 बिघा किस्म भूमि गैर मुमकीन नाला सिवायचक श्रीसरकार अंकित है। उक्त आराजी वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 के खसरा नं. 240/136 रकबा 0.05 बिघा भूमि किस्म नाला/नाली व आराजी नंबर 253/136 रकबा 0.05 बिघा भूमि किस्म नाला/नाली अप्रार्थीगणो के नाम दर्ज किया रेकार्ड है। उक्त आराजी की भूमि मुताबिक सेटलमेंट गैर मुमकीन नाला श्रीसरकार दर्ज थी। जो राजस्थान भूराजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा के अन्तर्गत राजस्व रेकार्ड में दर्ज नदी/नाला/झील/तलाब/नाली/तलाई/जलाशयो की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नही होते है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका सख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय में आदेश दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण मे उक्त आराजी नंबर के खातेदारी अधिकार व उक्त भूमि से उदभूत समस्त अधिकार काबिल निरस्ती योग्य है। अतः प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेंस किया जावे।

आदेश

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया एवं एकपक्षीय बहस तथा अप्रार्थी श्रीमती निर्मला, श्रीमती संजु (संध्या), एवं श्रीमती शिविबाई के जवाब पर मनन किया। ग्राम

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.12.24 17:30:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

गणपतपुरा पटवार मण्डल कुपडा तहसील व जिला बॉसवाडा सेटलमेंट खतौनी संवत् 1996 वाके ग्राम गणपतपुरा पटवार मण्डल कुपडा तहसील व जिला बॉसवाडा आराजी नंबर 136 रकबा 2.07 बिघा भूमि किस्म नाला श्रीसरकार दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2047–52 में आराजी नंबर 240/136 रकबा 0.05 बिघा किस्म नाला व आराजी नंबर 253/136 रकबा 0.05 बिघा किस्म नाला श्री बापुलाल, नाथुराम, धुलजी पिता हुका, श्री भगवान पिता रधुनाथ ब्राम्हण निवासी कुपडा के नाम के नाम दर्ज रकार्ड है। नामान्तरकरण संख्या 183 दिनांक 16.08.1993 से उक्त आराजीयात जरिये बटवारा से श्री धुलजी, बापुलाल पिता हुका के नाम दर्ज हुई। जो वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में धुलजी पिता हुका एवं बापुलाल के वारिसान अप्रार्थीगणो के नाम दर्ज रेकार्ड है। सेटलमेंट खतौनी संवत् 1996 अनुसार भूमि की मूल किस्म आरम्भ से ही किस्म नाला है, जो कि आवंटन/नियमन से बाधित भूमि है। जिस कारण ग्राम गणपतपुरा पटवार मण्डल कुपडा तहसील व जिला बॉसवाडा आराजी नंबर 240/136 रकबा 0.05 बिघा किस्म नाला व आराजी नंबर 253/136 रकबा 0.05 बिघा किस्म नाला अप्रार्थीगण श्री धुलजी पिता हुका, कान्ता, निर्मला, संजु पुत्री बापुलाल व शिवीबाई बेवा बापुलाल ब्राम्हण निवासी कुपडा के निजी खातेदारी अधिकार को वापस गैर मुमकिन नाला दर्ज किया जाना न्याय संगत है।

अतः रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण सुनवाई हेतु राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जाता है। अप्रार्थीगणो को इस आशय के साथ सम्मन जारी किया जावे कि इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते हो तो स्वयं/अप्रार्थी दिनांक 24.03.2021 को अपना प्रत्युत्तर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में उपस्थित होकर प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2020 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.12.24 17:30:11 IST
Reason: SelfAttested